




कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, खैरथा जिला - बालोद (छ.ग.)

STUDENT BIODATA FORM

कक्षा :-

1. नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. माता का नाम :-
4. पता :-
5. जन्म तिथि :-
6. वर्ग :- सामान्य अनु जाति अ.पि.वर्ग अनु जन०जाति
7. अल्पसंख्यक :- मुस्लिम बौद्ध इसाई पारसी जैन सिक्ख लागू नहीं
8. दिव्यांग :- हां नहीं (हां होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. मो. नं :-
10. वाट्सएप नं :-
11. अभिभावक या घर के सदस्य का मो.नं :-
12. मोबाईल एन्ड्राइड है या नहीं :-
13. मोबाईल नेटवर्क कंपनी :-
14. ई मेल एड्रेस :-
- (यह सुनिश्चित करें कि ई मेल स्वयं का हो तथा सक्रिय अवस्था में हो तथा उसे नियमित रूप से चेक किया जाता रहे)
15. आधार नं :-
16. बैंक खाता कं :-
- (बैंक खाता सक्रिय हो तथा उपयोग में हो तथा आधार नं से लिंक हो)
17. बैंक का नाम :-
18. बैंक शाखा का नाम तथा पता:-
19. बैंक का I.F.S.C कोड :-
20. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:-



प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य तथा अद्यतन है किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

हस्ताक्षर
अभिभावक का नाम:-
पता:-

हस्ताक्षर
नाम:-

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

1. मैं.....(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/.....
.....
(संस्था का नाम).....
.....में प्रवेश हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिये यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैंगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैंगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षडयंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि—
(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैंगिंग की श्रेणी में आता हो।
(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 रैंगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैंगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिये वर्जित किया गया न ही रैंगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने में सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गयी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
घोषणा की दिनांक.....माह.....वर्ष.....।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान).....(दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन).....माह.....वर्ष.....

को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

माता-पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कु.
 (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम).....
 (छात्र का पूरा नाम, प्रवेश, पंजीयन/नामांकन संख्या सहित).....

- (संस्था का नाम)..... में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराधों को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
 3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
 4. मैं सत्यनिष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि-
 - (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कंडिका-3 के अंतर्गत आता है।
 - (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा जो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।
 5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
 6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश के किसी भी संस्था से न तो निश्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।
- घोषणा की दिनांक.....माह.....वर्ष.....।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नम.....
 पता.....
 फोन/मो.नं.

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान).....(दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन).....माह.....वर्ष..... को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

नोट : इस शपथ पत्र को नोटरी द्वारा प्रमाणित कर जमा करें।

शपथ आयुक्त